न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

अपील संख्या 17/24 दायरा दिनांक 14.03.2024

1. ओमप्रकाश पुत्र रामप्रसाद उम्र 40 वर्ष जाति किराड निवासी महोदरा हाल कृष्णानगर कोटा मार्ग बारां जिला बारां राज.
2. उमेश पुत्र रामप्रसाद जाति किराड निवासी महोदरा तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान –फौत

   2/1–गुनगुन नाबालिग पुत्री उमेश उम्र 12 वर्ष जरिये बली माता ममता पत्नि उमेश जाति किराड निवासी महोदरा तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान हाल कृष्णानगर कोटा मार्ग बारां जिला बारां राज.

   2/2–मेहुल नाबालिग पुत्र उमेश उम्र 10 वर्ष जरियेबली माता ममता पत्नि उमेश जाति किराड निवासी महोदरा तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान . हाल कृष्णानगर कोटा मार्ग बारां जिला बारां राज.

   2/3–ममता पत्नि उमेश उम्र 32 वर्ष जाति किराड निवासी महोदरा तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान हाल कृष्णानगर कोटा मार्ग बारां जिला बारां राज.
3. अशोककुमार पुत्र रामप्रसाद उम्र 33 वर्ष जाति किराड निवासी महोदरा तहसील शाहाबाद हाल निवासी नलका बारां जिला बारां राजस्थान,
4. गायत्रीबाई पुत्री रामप्रसाद पत्नि रामस्वरूप जाति किराड निवासी महोदरा तहसील शाहाबाद हाल निवासी कोयला जिला बारां राजस्थान
5. सुनीताबाई पुत्री रामप्रसाद पत्नि चेतनकुमार उम्र 35 वर्ष जाति किराड निवासी महोदरा तहसील शाहाबाद हाल निवासी मुकुंदपुरा कवाई तहसील छबडा जिला बारां राजस्थान
6. कपूरी बेवा रामप्रसाद उम्र 58 वर्ष जाति किराड निवासी महोदरा तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान हाल कृष्णानगर कोटा मार्ग बारां जिला बारां राज.
7. हरिप्रसाद पुत्र सीताराम जाति किराड निवासी महोदरा तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान –फौत

   7/1–भरत पुत्र हरिप्रसाद उम्र 33 वर्ष जाति किराड निवासी महोदरा तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

   7/2–सरोज पुत्री हरिप्रसाद पत्नि रामेश्वरप्रसाद उम्र 35 वर्ष जाति किराड निवासी महोदरा हाल निवासी किराडपहाडी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

   7/3–गणेशी पत्नि हरिप्रसाद उम्र 65 वर्ष जाति किराड निवासी महोदरा तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
8. मोहनलाल पुत्र सीताराम उम्र 55 वर्ष जाति किराड निवासी महोदरा तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
9. कैलाशीबाई पुत्री सीताराम पत्नि रामप्रसाद उम्र 59 वर्ष जाति किराड निवासी महोदरा हाल निवासी खुशियारा तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

21.05.2024

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

10. रामकन्या पुत्री सीताराम पत्नि श्रीलाल उम्र 56 वर्ष दृजाति किराड निवासी महोदरा हाल निवासी ऊनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

11. भंवरीबाई पत्नि सीताराम जाति किराड निवासी महोदरा तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

—फौत

— अपीलान्टस

—: बनाम :—

1. सरपंच, ग्राम पंचायत महोदरा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

— रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 186 दिनांक 26.12.2000 ग्राम देवरीवीरान वनिर्णय सरपंच ग्राम पंचायत महोदरा तहसील शाहाबाद बारां

निर्णय—दिनांक 21.05.2024

उपस्थित— अपीलाण्टस की ओर से—श्री हेमराज नामदेव एडवोकेट

रेस्पो. की ओर से — एकपक्षीय

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि यह कि ग्राम देवरीवीरान पटवार हल्का महोदरा तहसील शाहाबाद में आराजी खसरा संख्या 108/3 रकबा 5.00 बीघा कृषि भूमि स्थित है, जो मूल रूप से सीताराम पुत्र मोतीलाल किराड निवासी महोदरा के खाते दर्ज रही है, जिसके अपीलाण्टस वैध वारिसान होकर वर्तमान जमाबंदी में बतौर खातेदार दर्ज हैं। अपीलाण्ट कम 1 लगायत 6 के पिता/पति खातेदार रामप्रसाद की मृत्यु उपरान्त दर्ज किये गये प्रश्नगत फोती नामान्तरकरण में अपीलाण्ट कम 3 अशोककुमार के स्थान पर तथाकथित भोला नाम दर्ज कर दिया है, जबकि रामप्रसाद के भोला नाम का कोई पुत्र ही नहीं है। अपीलाण्ट कम 3 अशोककुमार का नाम दर्ज नहीं कर तथाकथित पुत्र भोला नाम दर्ज है, जबकि भोला नाम का कोई पुत्र रामप्रसाद का नहीं है, इस कारण प्रश्नगत नामान्तरण खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट कम 2 उमेश की मृत्यु हो जाने से कम 2/1 लगायत 2/3, अपीलाण्ट कम 7 की मृत्यु हो जाने से कम 7/1 लगायत 7/3 वैधानिक वारिसान होने से पक्षकार संयोजित हैं तथा अपीलाण्ट कम 11 की भी मृत्यु हो चुकी है, जिसके अपीलाण्टस ही वैधानिक वारिसान है, जिनकी ओर से अपील प्रस्तुत है। दिनांक 12/02/2024 को हल्का पटवारी के बताने पर प्रश्नगत नामान्तरकरण का सर्व प्रथम ज्ञान अपीलान्टस को हुआ है, ज्ञान होते ही उसी दिन हल्का पटवारी को नकल हेतु आवेदन कर दिनांक 15—02—2024 को प्रश्नगत नामान्तरण की नकल प्राप्त कर ली और सर्वप्रथम ज्ञान से आज यह अपील उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद पेश है। पूर्व की डिले जानकारी के अभाव में क्षमा किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र दफा 5 भारतीय मर्यादा अधिनियम साथ संलग्न है। अपील का माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार तथा श्रवणाधिकार प्राप्त है, अन्य वजुहात वक्त वहस मौखिक अर्ज किये जावेंगे। अतः अपील पेश कर श्रीमान से प्रार्थना है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर मृत खातेदार रामप्रसाद पुत्र सीताराम किराड निवासी महोदरा की विरासत

21.05.2024

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

CamScanner

बावत तस्दीक प्रश्नगत फौती नामान्तरकरण नम्बर 186 दिनांक 26.12.2000 ग्राम देवरीवीरान तहसील शाहाबाद को अपीलाण्ट कम 3 के नाम की हद तक निरस्त फरमाया जावे तथा उक्त नामान्तरण भोला के स्थान पर अपीलान्टस कम 3 अशोककुमार के नाम पुनः दर्ज किये जाने के सादर आदेश रेस्पो. कम 2 को पारित फरमाये जाने की कृपा करें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टस की तलबी की गई। रेस्पोन्डेन्टस के विरूद्व बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता अपीलाण्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलान्टस की मुख्य रूप से आपत्ति यह है कि ग्राम देवरीवीरान तहसील शाहावाद स्थित आराजी खसरा नंबर 108/3 रकबा 5.00 बीघा के दर्ज खातेदार रामप्रसाद की विरासत बावत दर्ज प्रश्नगत नामान्तरण 186 में अपीलाण्ट कम 3 अशोक कुमार का नाम दर्ज नहीं कर तथाकथित पुत्र भोला का नाम दर्ज कर दिया गया है, जबकि भोला नाम का कोई पुत्र खातेदार रामप्रसाद का नहीं है। वास्तव में खातेदार रामप्रसाद के कितने पुत्र है, यह जांच का विषय है।

अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्टस स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामान्तरण नंबर 186 ग्राम देवरीवीरान दिनांक 26.12.2000 को निरस्त किया जाता है और प्रकरण तहसीलदार शाहावाद को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृत खातेदार रामप्रसाद पुत्र सीताराम किराड निवासी महोदरा तहसील शाहावाद के वारिसान की जांच कर पुनः नामान्तरण दर्ज करें। नामान्तरण कार्यवाही में अनावश्यक विलम्ब नहीं किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 21.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

21.05.2024

उपखण्ड अधिकारी अधिकारी
शाहाबाद शाहाबाद